

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सीधी (म0प्र0)**

कमांक/पुअ0/सीधी/शिका0/प्रति/220ए /2007 दिनांक 18 /11/08  
प्रति,

श्री आर0सी0दुर्गा,  
निदेशक  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
छठी मंजिल, "बी" विंग, लोकनायक भवन  
खान मार्किट, नई दिल्ली ।

**बिषय :-** आवेदक सुदिष्ट कुमार पिता स्व गोरखनाथ सा0 एनसीएल0 निगाही कालोनी बैढन  
जिला सिंगरौली की शिकायत के संबंध में ।

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्र0/मिसिल सं. म.प्र./एसटी-37/06/अत्याचार/अर.यू-3 दिनांक  
25.10.08

बिषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से  
आवेदक सुदिष्ट कुमार पिता स्व गोरखनाथ सा0 एनसीएल0 निगाही कालोनी बैढन जिला सिंगरौली  
द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जाँच कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन आपकी ओर इस कार्यालय के पत्र  
क्र0/पुअ/सीधी/शिका/प्रति/ 220/07 दिनांक 07.10.06 से प्रेषित किया गया है । जाँच  
प्रतिवेदन की छायाप्रति अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है । उक्त प्रकरण की अग्रिम जानकारी हेतु कृपया  
जिला सिंगरौली से सम्पर्क करने का कष्ट करें ।

**संलग्न:-** जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति मय मूल शिकायत पत्र

पुलिस अधीक्षक  
जिला सीधी(म0प्र0)

28/11/08  
म.प्र. (अर.यू-3)

राज्य निर्वाचन आयोग  
राज्य निर्वाचन विभाग/प्रति, 220 /2006, दिनांक 7/10/06

राज्य निर्वाचन  
भारत सरकार  
राज्य निर्वाचन आयोग  
एन.ए. बिल्डिंग, 'बी' विंग, लोक नारायण भवन  
साना भविकेट, नई दिल्ली 110003

विषय: आवेदिका श्रीमती सुखर बेना स्व. मोरखनाथ गौड़ एवं सुरिष्ट कुमार पिता स्व0  
मोरखनाथ गौड़ एवं सुरिष्ट कुमार पिता स्व0 मोरखनाथ गौड़ निवासी परियोजना आवास क. एमएचए-233  
(सेक्टर-3) के आवेदन पत्र के संबंध में।  
आपका पत्र क्रमांक ए.एम.ए.ओ. /2006/अत्याचार/एसटी/आ.ए.ए.टी/06  
दिनांक 18.06.06, संख्या नं. 8/7693/एमए.ए.ओ./पी.आ.ए. (2006) एनसीडब्ल्यू  
दिनांक 7.9.06

आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र का अनादेदक को देने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से  
आवेदिका को निर्वाचन का प्रतिकेदन हेतु प्राप्त हुई जिसको जांच कराई गई। जिसका जांच  
रिपोर्ट निम्न प्रकार है:

1. आवेदिका का नाम व पता :- सुरिष्ट कुमार पिता स्व0 मोरखनाथ एवं आवेदिका श्रीमती सान सुखर  
पत्नी स्व0 मोरखनाथ गौड़ निवासी परियोजना आवास क. एमएचए-233

2. आवेदिका का नाम व पता :- बालेन्द्र वर्मा साकिन नवानगर शाना बैदन।

3. आवेदिका द्वारा लगाए गए आरोप :- दिनांक 27.06 को बालेन्द्र वर्मा साकिन नवानगर द्वारा  
आवेदिका को धोका पहुंचाई गई। घटना की रिपोर्ट शाना बैदन ने किये जाने पर अनादेदक के  
वि.ए.ए.ओ. कार्यवाही नहीं की गई।

4. जांच की अधिकारी का नाम :- श्रीमती रसाना गौड़ नगर पुलिस अधीक्षक विन्ध्यनगर

5. जांच की मार वर तथ्य :- आवेदिका सुरिष्ट कुमार पिता स्व0 मोरखनाथ गौड़ 22 साल साकिन  
एनसीडब्ल्यू निवासी कालोनी साक्षी श्रीमती शकुन्ता पत्नी सनेन्द्र यादव उम्र 24 साल साकिन  
एनसीडब्ल्यू निवासी कालोनी एवं अनादेदक बालेन्द्र वर्मा पिता सनेन्द्र वर्मा उम्र 31 साल साकिन  
नवानगर का पूछा जांच की गई एवं शाना प्रयास बैदन से जांचकरी प्राप्त की गई।

जांच की मार वर तथ्य कि आवेदिका को धोका पहुंचाई कुलदिनेन्द्र व अनादेदक का संवेग  
गई एमए.ओ. वर्मा कोनी मार वर किना बताने दिनांक 24.8.06 को धूमते-वाशणसी चले गये थे।  
दिनांक 27.06 को आवेदिका को धोका पहुंचाई कुलदिनेन्द्र उम्र 31 नगर आया तो पता चलने पर अनादेदक  
आवेदिका को धोका पहुंचाई तीपक को नही जाने पर आवेदिका पर पना लगाने गया और घर के  
बाहर कुलदिनेन्द्र को पूछा जांच करने लगा इस पर आवेदिका ने मां सानकुंअर जो मोरखनाथ श्री के  
आपका पत्र पर अनादेदक बालेन्द्र वर्मा द्वारा धोका प्रेषित कर हथपाई की गई।

घटना की रिपोर्ट आदिशिका/कस्तिवारिया पान कुंआर पत्नी रवो पोरखनाथ उम्र 42  
 आयु 10 वर्ष नं. 233 से 3 एनपीएल निगाही जालोपी की रिपोर्ट आवेदन पत्र थाना बैटन में  
 प्राप्त होने पर प्रमाण 102 असिलेश अग्निहोत्री द्वारा घटना की तस्तीक व गीके से जांच कर थाना  
 बैटन में दिनांक 10.7.06 को अपराध क्रमांक 369/06 धारा 294,323,506 तार्हो पजीबद्ध कर  
 विवेचना की गई । विवेचना के अनुष्ठम में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी बालेन्द्र चर्मी  
 निवासी ग्राम चवानगर को गिरफ्तार किया जाकर विवेचना पूर्ण कर चालान क्रमांक 295/06  
 दिनांक 25.7.06 तैयार किया जाकर मानवीय न्यायालय प्रशास वर्ग बैटन की न्यायालय में पेश किया  
 गया जिसका प्रकरण क्रमांक 775/06 दिनांक 18.8.06 प्राप्त किया गया है । इस तरह से  
 आदिशिका की रिपोर्ट पर थाना बैटन पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पजीबद्ध किया जाकर  
 वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

6.जांच का निष्कर्ष :- जांच पर लेख शिकायत की रिपोर्ट पर थाना बैटन पुलिस द्वारा कार्यवाही  
 नहीं की गई, प्रमाणित नहीं पाई गई । थाना बैटन पुलिस द्वारा उपरोक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध  
 प्रकरण दर्ज/बद्ध किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

अतः जांच प्रतिवेदन मय मूल शिकायत पत्र के प्रेषित है ।



पुलिस अधीक्षक  
 जिला सीधी (मोमो)

पुलिस/कुआर/सीधी/शिकायत/प्रति/ 220  
 पतिलिपि :-

/2006, दिनांक 7/10/06

1. पुलिस महानिदेशक पीता जोग पीता की ओर पत्र क्रमांक पुमनि/पीता/शिकायत/161/06 दिनांक 29.8.06 के संदर्भ में मय मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित है ।
2. कलेक्टर जिला सीधी की ओर पत्र क्रमांक 78/परिवार/2003 दिनांक 6.9.06 के संदर्भ में मय मूल आवेदन के प्रेषित है ।



पुलिस अधीक्षक  
 जिला सीधी (मोमो)

